

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 21.01.2021 जनपद देवरिया

दिनांक 20.01.2021 को पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा कच्ची शराब के निष्कर्षण एवं विक्रय पर अंकुश लगाने व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उनके विरुद्ध जनपद देवरिया मे अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही किया गया जिसके परिप्रेक्ष्य में-

01.आबकारी अधिनियम के अंतर्गत:-

➔थाना मदनपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त **01.अटल बिहारी सिंह पुत्र स्व0 लल्लन सिंह सा0 खैराट थाना बरहज, देवरिया** गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 19 शीशी बण्टी बबली देशी शराब का बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➔थाना तरकुलवा पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त **01.विवेक मिश्रा पुत्र स्व0 शारदा सा0 मिश्रौली थाना तरकुलवा, देवरिया** गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 ली0 देशी अवैध शराब का बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➔थाना मईल पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त **01.मुकेश उराव पुत्र बुद्धू उराव सा0 सिसई जिला उराव, झारखण्ड** गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 ली0 देशी अवैध शराब का बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया। इसके अतिरिक्त अभियुक्त **01.राम उराव पुत्र मंगल सा0 मकरा थाना भरनो जिला गुमाला, झारखण्ड** गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 ली0 देशी अवैध शराब का बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➔थाना खामपार पुलिस द्वारा 03 अभियुक्त **01.संदीप विन्द पुत्र स्व0 हरिहर विन्द सा0 भिसवा थाना भोरे जिला गोपालगंज, बिहार 02.बलिन्दर शर्मा पुत्र स्व0 गनेश शर्मा सा0 मठिया थाना विजयीपुर जिला गोपालगंज बिहार 03.रामसनेही यादव पुत्र सैजनाथ सा0 निशनिया पैकौली थाना खामपार, देवरिया** गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 20-20 लीटर कुल 60 लीटर नाजायज कच्ची शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

02.थाना कोतवाली पुलिस द्वारा एक अदद नाजायज चाकू के साथ 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया:-

दिनांक 20.01.2021 को थानाध्यक्ष कोतवाली मय फोर्स देखभाल क्षेत्र, रोकथाम अपराध, तालाश वांछित अभियुक्त हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे, कि मुखबिर से सूचना पर माल गोदाम रोड से एक व्यक्ति को एक अदद नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त से नाम पता पूछने पर अपना नाम व पता **01.भोला उर्फ अतुल पुत्र शिवानन्द खरवार सा0 दानोपुर थाना कोतवाली देवरिया हा0पता सब्जी मण्डी मोतीलाल रोड थाना कोतवाली देवरिया।** बताया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद करते हुये रामपुर कारखाना पुलिस द्वारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

03.निरोधात्मक कार्यवाही-

दिनांक 21.01.2021 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की गयी, जिनका विवरण निम्नवत है-

➔ जनपदीय पुलिस द्वारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत 18 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किया गया।

➔ जनपदीय पुलिस द्वारा 110जी जा0फौ0 के अन्तर्गत 10 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किया गया।

04.जनपदीय पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में कार्यवाही-

दिनांक 21.01.2021 को जनपदीय पुलिस द्वारा शांतिर अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वाहनों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

➡ वाहन चेकिंग के दौरान 113 वाहनों से 11200 रूपये शमन शुल्क (ई-चालान) किया गया।

